

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,.....

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कॅम्प कोर्ट) कैम्प

173

-:आदेश:-

दि 18/03/19

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी दियातरा व भूअग्नि दियातरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कोलायत / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चक सेठिया तहसील कोलायत जिला बीकानेर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में खाता संख्या 74 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	चक सेठिया	74	$\frac{296}{255} - 5.60\text{₹.}$	① $\frac{315}{255} - 3.72$ ② $\frac{316}{255} - 1.88$ <hr/> अंतिम - 5.60

(.....)
 पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 कोलायत जिला-बीकानेर

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

- 1 तहसीलदार श्री. पोल्या को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
- 2 प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 कोलायत जिला-बीकानेर